उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या : 19/2025/1430/94-2-2025-700(62)/2023
लखनऊ, दिनांक : 19 नवम्बर, 2025

अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य के अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 78-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची एक(ख) के अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा विलेखों पर, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-1 में यथा उल्लिखित औसत वार्षिक किराये की धनराशि वाले पट्टा विलेखों के वर्गों, और उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2(क), 2(ख) और 2(ग) में उल्लिखित धनराशि से अधिक प्रभार्य **रजिस्ट्रीकरण फीस** से छूट देते हैं। परन्तु यह कि पूर्वोक्त छूट किसी भी प्रकार के टोल और खनन पट्टा करार पर लागू नहीं होगी।

अनुसूची

औसत वार्षिक किराये की धनराशि (रु० में)	**प्रभार्य अधिकतम रजिस्ट्रीकरण फीस (रु० में)**		
	01 वर्ष तक	**01 वर्ष से अधिक एवं 05 वर्ष तक**	**05 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक**
1	**2(क)**	**2(ख)**	**2(ग)**
2,00,000/- तक	500/-	1,500/-	2,000/-
2,00,001/- से अधिक और 6,00,000/- तक	1,500/-	4,500/-	7,500/-
6,00,001/- से अधिक और 10,00,000/- तक	2,500/-	6,000/-	10,000/-

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या : 19/2025/1430(1)/94-2-2025-700(62)/2023 दिनांक : 19 नवम्बर, 2025</u>

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 19 नवम्बर, 2025 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

<u>संख्या : 19/2025/1430(2)/94-2-2025-700(62)/2023 दिनांक : 19 नवम्बर, 2025</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3- महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
7- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
8- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), उ०प्र०।
9- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
10- विधायी अनुभाग-1
11- भाषा अनुभाग-5
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।